न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 08/2015
RCMS Case No. 2015/00562

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्रीमती कुकलीदेवी पत्नी दोलाराम जाति गुर्जर के का0मु0 चन्द्रप्रकाश पुत्र दोलाराम जाति गुर्जर निवासी सिंगपुरा तहसील सोजत जिला पाली	1	भुण्डाराम पुत्र समेलराम जाति गुर्जर निवासी गुर्जरों का बास, सिंगपुरा तहसील सोजत
	2	सरपंच ग्राम पंचायत रायरा कलां, पंचायत समिति, सोजत

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थित :–

1. श्री मदनलाल सोनी, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री दिनेश प्रजापत, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1

–: निर्णय :–

दिनांक: 19/06/2019

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत रायरा कलां द्वारा मिसल संख्या 119/2003–2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 06.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1650 दिनांक 06.11.2004 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम रायरा कलां में प्रार्थी का एक आवासीय पट्टासुदा मकान स्थित है, जिसके उत्तर मं लालुराम पुत्र भीकाराम, वचनाराम पुत्र भीकाराम का मकान, दक्षिण में आसण की ओर जाने का आम रास्ता, पूर्व में मन्दिर जाने वाला आम रास्ता तथा पश्चिम में पुनाराम, धनाराम का मकान हैं। इसके बीच स्थित परिसर का पट्टा संख्या 24 दिनांक 10.05.1996 को जारी हो चुका हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत से मिलावट करते हुए प्रार्थी के पट्टासुदा मकान मय नोहरे का पट्टा स्वयं के नाम बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में पट्टा जारी कर दिया, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत को पट्टासुदा भूमि पर दुबारा पट्टा जारी करने की कोई अधिकारिता नहीं थी, इसके बावजूद भी पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र से परे जाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। अप्रार्थी प्रार्थी के मकान मय नोहरे में हस्तक्षेप करने लगे, तो प्रार्थीया को जैर निगरानी पट्टे की जानकारी हुई। इस सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अप्रार्थीगण के विरूद्ध दायर करवाई, जिसमें पुलिस अनुसंधान में यह स्पष्ट हुआ कि

अति० जिला कलेक्टर, पाली

जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थीया के पट्टा होने के बावजूद भी ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 से मिलावट करते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध हैं। इस बाबत पुलिस द्वारा मुलजिमान के विरूद्ध चालान भी प्रस्तुत किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया विधि विरूद्ध रूप से अपनाई गई तथा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जो विधिक दृष्टिकोण से शून्य प्रभावी होने से खारिज़ करावें।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में कथन किया कि पुलिस अनुसंधान के तथ्यों के आधार पर हकों का निर्धारण नहीं किया जा सकता हैं। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी कब्जा सुदा भूमि का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए सचिव को नक्शा तैयार करने के आदेश दिए, जिसकी पालना में सचिव द्वारा मौका निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार किया गया। इसके पश्चात तीन पंचों को मौका निरीक्षण हेतु मनोनीत किया गया, पंचों द्वारा अपनी मौका रिपोर्ट में जैर निगरानी विवादित आराजी पर अप्रार्थी संख्या 1 का कब्जा होना माना हैं। इसके पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति आमन्त्रित करने हेतु एक माह का इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। निर्धारित समयावधि में किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर दो गवाहों के बयान कलमबद्ध किए जाकर ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत हैं। प्रार्थी द्वारा जैर निगरानी पट्टे की आराजी पर पूर्व में स्वयं के नाम से पट्टा जारी होना बताया है, जबकि ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया तथा न ही ऐसा कोई दस्तावेज ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध हैं। प्रार्थी द्वारा मात्र कयासी आधारों पर यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो विधि विरूद्ध हैं। ग्राम पंचायत द्वारा समस्त प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नहीं हैं। अतः निगरानी सारहीन होने से खारिज़ करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया एवं प्रस्तुत न्यायिक सिद्धान्तों का ससम्मान अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी अधिवक्ता का मुख्य उज्र यह रहा कि ग्राम पंचायत द्वारा जो मिसल कायम की गई है, उसमें आवेदक का नाम आदि विवरण अंकित ही नहीं हैं, जिसकी प्रतियां प्रार्थी के पास उपलब्ध हैं। न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज पंचायत द्वारा प्रस्तुत किए है, उनमें आवेदक का नाम व बयानात् में व्यक्तियों का विवरण आदि बाद में अंकित करते हुए प्रस्तुत की है, जो रेकर्ड में हेराफेरी की तारीफ में आता हैं। वकील प्रार्थी के इन तथ्यों में बल नहीं हैं, क्योंकि स्वयं वकील प्रार्थी द्वारा निगरानी के समर्थन में जो दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए है, उनमें अप्रार्थी के नाम जारी पट्टे एवं सम्बन्धित मिसल की प्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत की है, जो हू–ब–हू पंचायत द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज से मिलान करती है, जिनमें आवेदक का नाम, गवाहों के नाम आदि अंकित हैं। अब पंचायत की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी संख्या 1 ने आवेदन प्रस्तुत कर पुश्तैनी

अति० जिला कलक्टर, पाली

प्लॉट का पट्टा बनाने का निवेदन किया, जिस पर पंचायत द्वारा दिनांक 05.02.2004 को मिसल दर्ज कर नियम 145 (3) के तहत नक्शा तैयार करने एवं नियम 146 (2) के तहत तीन वार्ड पंचों को मौका निरीक्षण करने के आदेश पारित किए। उक्त आदेशों की पालना में ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव द्वारा नक्शा मौका तैयार किया गया तथा तीन वार्ड पंचों द्वारा मौका जांच कर रिपोर्ट ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत की। वार्ड पंचों ने जो मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, उसमें एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी कराने का निवेदन किया। इस पर पंचायत द्वारा दिनांक 06.06.2004 को प्रपत्र 22 में एक माह का आपत्ति इश्तिहार जारी करने के आदेश पारित किए। इस आदेश की पालना में आपत्ति इश्तिहार क्रमांक/119 दिनांक 06.06.2004 को जारी किया गया, जो चार व्यक्तियों की उपस्थिति में चस्पा किया गया। इसके पश्चात निर्धारित समयावधि तक किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण आवेदक को अपने कब्जे के समर्थन में दो गवाहों के बयान कलमबद्ध कराने के आदेश पारित किए। उक्त आदेश की पालना में गवाह श्री पपुराम पुत्र गोदाराम जाति गुर्जर तथा चेनाराम पुत्र पेमाराम जाति गुर्जर द्वारा अपने बयान कलमबद्ध करवाए। दोनों ही गवाहों ने अपने बयानों में जैर निगरानी विवादित आराजी पर आवेदक भूण्डाराम का कब्जा होना स्वीकार किया। यहाँ उल्लेखनीय तथ्य है कि ग्राम पंचायत की बैठक दिनांक 06.11.2004 की आदेशिका अनुसार दो गवाह किसनाराम व चैनाराम के बयान कलमबद्ध करना अंकित किया, जबकि मिसल के साथ जो बयान संलग्न किए है, वे पपुराम तथा चेनाराम द्वारा कलमबद्ध करवाए गए है। इस प्रकार मिसल के संलग्न दस्तावेज तथा मिसल की कार्यवाही में मिलान नहीं होता हैं। इसी दिनांक अर्थात 06.11.2004 को ही ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में आवेदक भूण्डाराम के पक्ष में पट्टा जारी करने के आदेश पारित किए। जहाँ तक पंचायत द्वारा प्रकरण हाजा में आक्षेपित आज्ञा जारी करने में अपनाई गई प्रक्रिया का प्रश्न है, तो इस स्तर पर मिसल की कार्यवाही में ऐसी कोई विधिक त्रुटी दृष्टिगोचर नहीं होती हैं, जो जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे की विधिकता पर विपरित प्रभाव ड़ालती हो।

अब प्रकरण में दो स्थितियां प्रकट होती है, जिसमें प्रथम स्थिति यह कि "जैर निगरानी विवादित आराजी के सम्बन्ध में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसमें हुए पुलिस अनुसंधान की रिपोर्ट प्रकरण हाजा को किस रूप में प्रभावित करती है" तथा द्वितीय महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु यह प्रकट होता है कि "क्या राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है ?" प्रकरण में विवादित आराजी के सम्बन्ध में जो प्रथम सूचना रिपोर्ट दायर हुई है, उसका अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में दिनांक 10.05.1996 को प्रार्थीया कुकलीदेवी के नाम से पट्टा जारी होना बताते हुए उसी भूमि पर अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टे को कूटरचित एवं फर्जी होना मानते हुए अप्रार्थी के पक्ष में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471, 472, 474, 120 के तहत कार्यवाही कराने का निवेदन किया। उक्त अनुसंधान प्रार्थीया के जिस पट्टे को दृष्टिगत रखते हुए किया गया है, उस पट्टे के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत रायराकलां द्वारा किशनाराम पुत्र

अति० जिला कलेक्टर, पाली

समेलराम को सूचना प्रदान करते हुए जाहिर किया कि दिनांक 10.05.1996 को ग्राम पंचायत में न तो बैठक हुई थी एवं न ही निःशुल्क पट्टे वितरण सम्बन्धी सूची में कुकली पत्नी दौलाराम का नाम दर्ज होना पाया गया। इसके विपरित प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा प्रार्थीया के नाम जारी पट्टा संख्या 24 की प्रति प्रस्तुत की, जिसमें अंकित पड़ौस की भूमि की प्रस्थिति अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे के पड़ौस से मिलान करती हैं। इसके अतिरिक्त प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा ग्राम पंचायत रायराकलां के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तथा उस पर ग्राम पंचायत रायराकला के प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29.06.2015 की प्रति प्रस्तुत की, जिसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जैर निगरानी विवादित आराजी पर प्रार्थीया के नाम जारी पट्टे को स्वीकार करते हुए जैर निगरानी पट्टा, जो अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी किया गया है, को निरस्त कराने का निवेदन किया, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 3 दिनांक 29.06.2015 के जरिये अप्रार्थी संख्या 1 के नाम जारी पट्टे को निरस्त कराने की कार्यवाही करने का प्रस्ताव पारित किया गया तथा वही पट्टा हस्तगत प्रकरण में प्रश्नगत हैं। इन्हीं तथ्यों के आधार पर पुलिस अनुसंधान भी किया गया, जिसमें अप्रार्थीगण को दोषसिद्ध माना हैं। चूंकि उक्त तथ्य प्रकरण में ग्राम पंचायत की कार्यवाही को भी रेखांकित करते है, इस कारण पुलिस अनुसंधान की कार्यवाही भी हस्तगत प्रकरण को प्रभावित करती हैं।

द्वितीय महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु यह प्रकट होता है कि "क्या राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 के तहत भूखण्ड का पट्टा जारी किया जा सकता है ?" इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 157 का उल्लेख किया जाना आवश्यक हैं, जिसके अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण के प्रावधान है, जिसमें 50 वर्ष से अधिकार पूर्व के निर्मित मकानों हेतु 100/– रूपये एवं इन नियमों के लागू होने की तिथि को 50 वर्षो के दौरान बने पुराने मकानों हेतु 200/– रूपये जमा कराने के पश्चात पंचायत द्वारा पट्टा जारी किया जा सकेगा। इसमें "पुराने गृहों के विनियमितीकरण" अंकित है, इससे यह स्पष्ट होता है कि नियम 157 के तहत भू–खण्ड का पट्टा जारी नहीं किया जा सकता हैं। इस बिन्दु को विस्तृत रूप से रेखांकित करते हुए माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1265 मनोहरसिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में यह अभिनिर्धारित किया कि "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994– धारा 97– राजस्थान पंचायती राज नियम 1996–नियम 145 से 148, 157– याची के पक्ष में जारी पट्टा कलेक्टर ने निरस्त किया–नियम 157 के अन्तर्गत प्रश्नगत भूमि पर पुराना कब्जा होने के आधार पर पट्टा जारी किया – 200/– रू. प्रतिफल भुगतान करने पर निर्मित मकान के नियमन हेतु पट्टा जारी किया जा सकता है–पुराने गृहों के नियमन हेतु न कि भूखण्ड़ों हेतु प्रावधान–निर्णीत, हस्तक्षेप हेतु मामला नहीं बनता हैं।" विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी द्वारा अपने तथ्यों के समर्थन में जो न्यायिक सिद्धान्त प्रस्तुत किए, वे अवश्य ही सम्माननीय है, किन्तु निम्न कारणों से प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं। आर0आर0टी0 2015 (2) पेज 967 इस सन्दर्भ में अभिनिर्धारित किया गया है कि निगरानी क्षेत्राधिकारिता के

अति० जिला कलेक्टर, दौसा

अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को अपास्त नहीं किया जा सकता है। सिविल वाद ही उचित उपचार था। प्रकरण हाजा में ऐसा कोई प्रश्न ही प्रकट नहीं हुआ है, जो किसी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को रेखांकित करता हो। डी0एन0जे0 (राज.) 2002 (1) पेज 307 में ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा जारी करने के आदेश को 39 वर्षों पश्चात चुनौती दिए जाने एवं अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा पट्टे को निरस्त किए जाने का न्यायोचित नहीं माना हैं, किन्तु हस्तगत प्रकरण में नवीन तथ्य यह प्रकट हुआ है कि जैर निगरानी विवादित आराजी पर पूर्व में पट्टा जारी हो चुका था, जिसे स्वयं अप्रार्थी ने पंचायत के समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में स्वीकार किया हैं तथा पुलिस अनुसंधान में इसी तथ्य के कारण अप्रार्थीगण को दोषी माना हैं। इस कारण प्रथम दृष्टया अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जो पट्टा जारी किया गया, उसकी पंचायत को अधिकारिता ही नहीं होने के कारण प्रकरण हाजा को मियाद के प्रावधान बाधित नहीं करते हैं। इस कारण अप्रार्थी की ओर से प्रस्तुत उक्त न्यायिक सिद्धान्त प्रकरण हाजा पर चस्पा नहीं होते हैं।

उपरोक्त पदों में यह स्पष्ट रूप से विवेचित किया जा चुका हैं कि प्रकरण हाजा में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रार्थीया के नाम जारी तथाकथित पट्टे की भूमि पर दुबारा पट्टा जारी किया गया है तथा नियम 157 के तहत विधि विरूद्ध रूप से भूखण्ड का पट्टा जारी किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने के कारण ग्राम पंचायत रायरा कला द्वारा पारित जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा विधि सम्मत नहीं होने से खारिज़ किये जाने योग्य प्रतीत होंता हैं।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत स्वीकार की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत रायरा कलां द्वारा मिसल संख्या 119/2003–2004 में पारित प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 06.11.2004 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 1650 दिनांक 06.11.2004 को अपास्त किया जाता हैं। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 19/06/2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली